न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 14 / 2018 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2018 / 00189

उनवान

1. आशा देवी पत्नी प्रवीण कुमार
2. राजाबेटी पत्नी रमाशंकर

} जाति त्यागी निवासी बसई नवाब तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मंजू देवी पत्नी भूपेन्द्र
2. शिवशंकर पुत्र नत्थीलाल
3. गुड्डी पुत्री नत्थीलाल
4. ओमवती पत्नी वेदप्रकाश
5. सीमा
6. बेवी

} पुत्रियान वेदप्रकाश

7. लीलावती पत्नी रामजीलाल
8. बैजन्ती पत्नी स्व0 तुलाराम

समस्त जातिगण त्यागी निवासी नगला हरलाल मजरा बसई नवाव तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ दिनांक 31.05.2016 उनवानी मंजू देवी बनाम शिवशंकर।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 01.10.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 31.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 मंजू देवी द्वारा एक वाद वास्ते बंटवारा काश्त एवं प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इन तथ्यो क साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 7058/5849 वाके ग्राम नगला हरलाल में सायला/रैस्पो0 संख्या 01 मंजू देवी 2/5 भाग की तथा खसरा नम्बर 3768, 3926, 5821, 5822, 5823 व 5861 वाके ग्राम नगला हरलाल में सायला 1/3 भाग की अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने गैर सायलान से बंटवारा कराने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गये तथा वादी/रैस्पो0 संख्या 01 का धमकी दी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, दौराने वाद विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किये। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील प्रस्तुत कर, अपील को ग्रहण किये जाने की प्रार्थना की।

2. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 में अपीलाण्ट का तर्क है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3601 से रैस्पो0 का कोई संबंध सारोकार नहीं है। रैस्पो0 ने तथ्यो को छुपाते हुये एवं अपीलाण्ट को बिना पक्षकार मुकदमा बनाये अपीलाधीन आदेश पारित कराया है। उक्त अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट परिवेदित है। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील ग्रहण की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 हाजिर अदालत नहीं आये; उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड के परीक्षण किये, अपीलाण्ट की तन्हा खातेदारी के आराजी खसरा नम्बर 3601 वाके ग्राम नगला हरलाल को अवैध रूप से सम्मिलित करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जबकि अपीलाण्ट की उक्त आराजी खसरा नम्बर 3601 ना तो प्रकरण में विवादित है एवं ना ही रैस्पो0 को उक्त आराजी में कोई अधिकार ही हासिल हैं। रैस्पो0 ने ना तो प्रकरण में अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा बनाया है एवं ना ही उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में कोई सुनवाई का अवसर प्राप्त हुआ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। अन्त में अपील अपीलाण्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को स्वयं की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 3601 की हद तक मन्सूख किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 06 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 3601 रकवा 02 बीघा 06 विस्वा वाके ग्राम नगला हरलाल के कॉलम संख्या 04 में अपीलाण्ट आशा देवी पत्नी प्रवीण कुमार, राजाबेटी पत्नी रामाशंकर व हिस्सा बराबर सा0 देह खातेदार काश्तकार अंकित हैं। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 3601 में रैस्पो0 का कोई हिस्सा दर्ज नहीं है। इसके अलावा रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ना तो अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है एवं ना ही विवादित आराजी खसरा नम्बर 3601 बाबत् कोई अनुतोष चाहा गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर गौर ना करते हुये, अपीलाण्ट की तन्हा खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 3601 पर स्थगन जारी किया गया है, जो तर्कसंगत नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में होने से इंकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, अपीलाण्ट की तन्हा खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 3601 रकवा 02 बीघा 06 विस्वा वाके ग्राम नगला हरलाल तहसील सैपऊ की सीमा तक निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01-10-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं
कार्यवाहक भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर